सर सुरेन्द्र सिंह मजीठिया (के.टी.)
संस्थापक

अहिंसा परमो धर्मः
बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय
कुशीनगर, उत्तर प्रदेश

स्थापित वर्ष 1954 ई०

सरदार कृपाल सिंह मजीठिया
सह-संस्थापक

# बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय

कुशीनगर-274403 (उ०प्र०)

(दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध)

(कला, विज्ञान, वाणिज्य
एवं शिक्षा संकायों सहित)

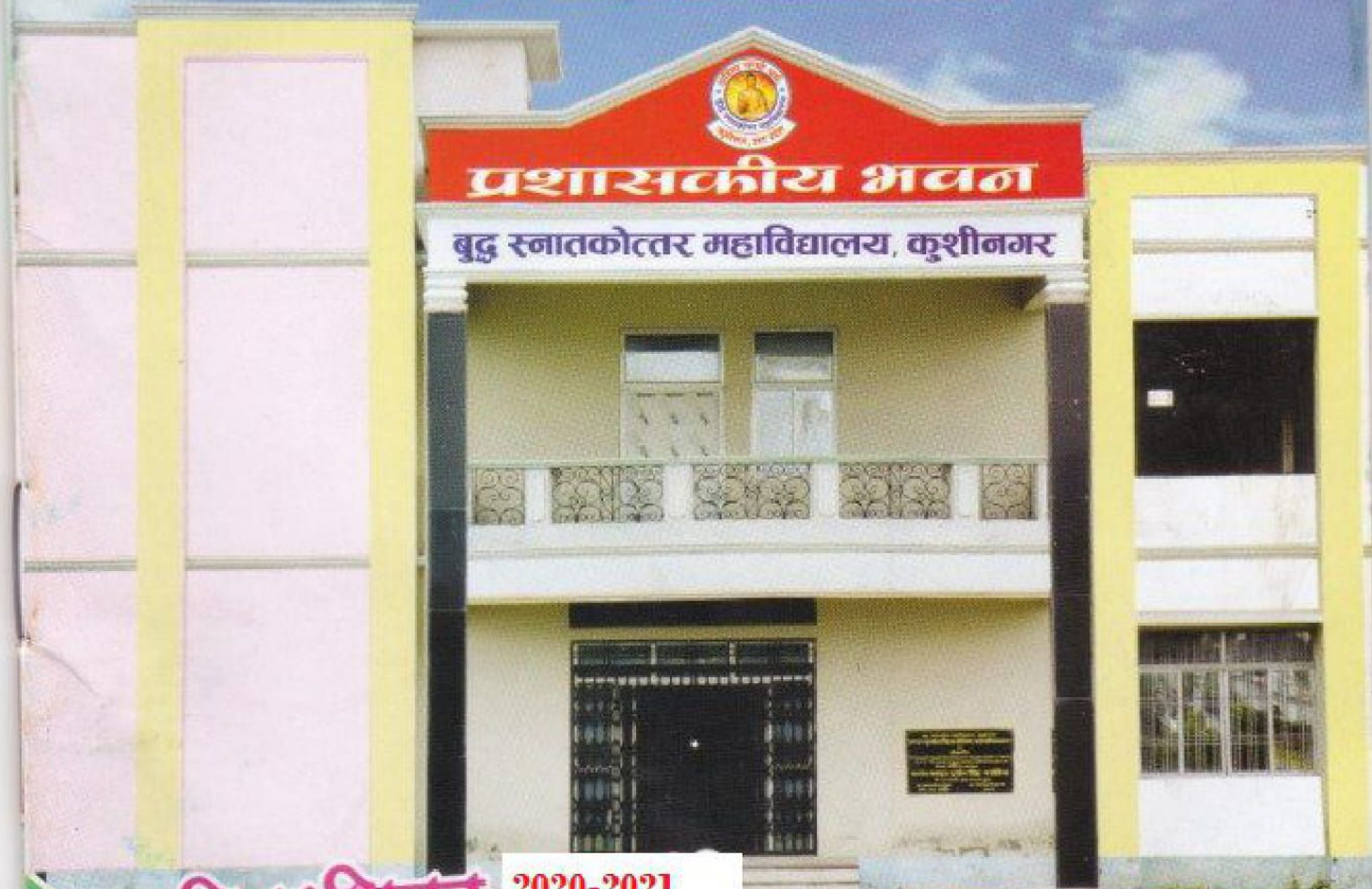


## विवरणिका 2020-2021

प्रवेश फार्म मूल्य रु.150/-

## संक्षिप्त परिचय

भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण भूमि एवं अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध पर्यटक केन्द्र कुशीनगर, मल्ल गणराज्य की राजधानी एवं प्राचीन शिक्षा के प्रमुख केन्द्र के रूप में विश्वविख्यात रहा है। कुशीनगर की इस प्राचीन गौरवशाली परम्परा को पुनः प्रतिष्ठित करने हेतु पूर्वांचल के प्रसिद्ध उद्योगपति डॉ. (सर) सुरेन्द्र सिंह मजीठिया ने सन् 1954 ई. में यहाँ कॉलेज आफ एशियन लैंग्वेज के रूप में बुद्ध महाविद्यालय की स्थापना की, जिसमें कला संकाय के अन्तर्गत लगभग 13 विषयों के साथ एशियाई भाषाओं जैसे- बर्मी, चीनी, तिब्बती, आदि के अध्ययन की व्यवस्था की गयी। सन् 1955 ई. में इस संस्था को आगरा विश्वविद्यालय से अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त हुई और सन् 1956 ई. में गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद यह महाविद्यालय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से सम्बद्ध हो गया। वर्तमान समय में यही महाविद्यालय सम्प्रति बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुशीनगर के रूप में पूर्वांचल में ज्ञान की ज्योति को प्रज्ज्वलित कर रहा है। इस महाविद्यालय का प्रबन्धकीय संचालन बुद्ध शिक्षा परिषद द्वारा किया जाता है, और वर्तमान समय में **सरदार दलीप सिंह मजीठिया महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष हैं।**

## उद्देश्य

भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के अनुरूप ऐसी सन्तुलित शिक्षा प्रदान करना, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन, शरीर और बुद्धि का सन्तुलित विकास कर सके, उच्च मानवीय मूल्यों की स्थापना और विश्व बन्धुत्व की भावना को जागृत करने के साथ आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों की ओर युवा पीढ़ी को अग्रसर करना इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य है।

## विधान

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से सम्बद्ध इस महाविद्यालय में कला, विज्ञान और वाणिज्य के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम का विधान है। इसके अतिरिक्त एम.ए., एम. काम., एम.एस-सी. तथा बी.एड. पाठ्यक्रम दो वर्ष का है। एम.काम., एम.एस-सी. (प्राणि विज्ञान), तथा एम.ए. (प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति) का पाठ्यक्रम स्ववित्तपोषित व्यवस्था के अन्तर्गत संचालित होता है।

इस महाविद्यालय में इन्दिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली एवं राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद का भी अध्ययन केन्द्र स्थापित किया गया है।

## कला संकाय

**स्नातक ( बी. ए. ) :** (प्रत्येक ग्रुप से एक विषय का ही चयन करें)

**ग्रुप अ :** शिक्षाशास्त्र/समाजशास्त्र/राजनीति विज्ञान

**ग्रुप ब :** मनोविज्ञान/भूगोल/गणित

**ग्रुप स :** हिंदी/अर्थशास्त्र

**ग्रुप द :** मध्यकालीन इतिहास/प्राचीन इतिहास/दर्शनशास्त्र

**ग्रुप य :** अंग्रेजी/संस्कृत

**विशेष :** भूगोल विषय का चयन वही छात्र कर सकता है जो इण्टरमीडिएट भूगोल से उत्तीर्ण हो अथवा इण्टर विज्ञान या कृषि से उत्तीर्ण किया हो।

**स्नातकोत्तर ( एम. ए. ) :** हिन्दी, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास, मनोविज्ञान, राजनीतिशास्त्र, भूगोल।

**स्नातकोत्तर** (एम. ए.) : प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति ( **स्ववित्तपोषित** )

## विज्ञान संकाय

**स्नातक ( बी. एस-सी. ) :**

**जीव विज्ञान वर्ग :** प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान / मनोविज्ञान / भूगोल

**गणित वर्ग :** भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान / मनोविज्ञान / भूगोल

**स्नातकोत्तर ( एम. एस-सी. ) :** प्राणि विज्ञान ( स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत)

## वाणिज्य संकाय

**स्नातक ( बी. काम. ) :** त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम

**स्नातकोत्तर एम. काम. :** स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत

## शिक्षा संकाय

**बी. एड. :** द्विवर्षीय पाठ्यक्रम

बी.एड. कक्षा में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होगा।

## राष्ट्र गौरव, पर्यावरण व मानवाधिकार

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के नियमानुसार स्नातक (कला/

विज्ञान/वाणिज्य संकाय) की उपाधि प्राप्त करने हेतु 'राष्ट्रगौरव, पर्यावरण व मानवाधिकार' पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

## विषय परिवर्तन

विश्वविद्यालय के आदेशानुसार एक बार विषय का चयन कर लेने के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

## कम्प्यूटर लैब

शिक्षकों एवं शोधार्थियों हेतु महाविद्यालय में शोध कार्य हेतु एक कम्प्यूटर लैब उपलब्ध है।

## प्रवेश

महाविद्यालय द्वारा निर्धारित योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा। किन्तु कालेज बिना कोई कारण बताये हुए किसी भी प्रार्थी का प्रवेश अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

कोई भी अभ्यर्थी अधिकार के रूप में प्रवेश की माँग नहीं कर सकता। महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त छात्र को केवल 30 जून तक संस्थागत माना जायेगा। महाविद्यालय में प्रवेश की पुष्टि होने के बाद किसी समय यह ज्ञात होने पर कि प्रार्थी ने कोई असत्य या अशुद्ध वक्तव्य दिया था, अथवा उसने प्रवेश प्राप्त करने के लिए किसी अनुचित या अनुपयुक्त साधन प्रयोग किया था, तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा। ऐसे छात्र जो अनुचित साधन के प्रयोग से दंडित हुए हैं अथवा महाविद्यालय या किसी अन्य महाविद्यालय में उनका नाम काली सूची में है, उन्हें प्रवेश नहीं दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके ऊपर किसी फौजदारी अदालत में मुकदमा विचाराधीन है, वे भी प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे। कोई भी छात्र संस्थागत रूप में किसी भी कक्षा में एक वर्ष / सत्र तक ही अध्ययन कर सकता है।

## प्रवेश नियम एवं विधि

स्नातक (बी.ए./बी.काम./बी.एस-सी.) प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र रुपये 150/-(एक सौ पचास रुपये) भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।

उक्त कक्षाओं में प्रवेश हेतु महाविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं किया जायेगा। प्रवेश के लिए इण्टरमीडिएट के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट तैयार किया जायेगा तथा मेरिट के अनुसार ही छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। जिन छात्रों ने इण्टरमीडिएट परीक्षा

विज्ञान/ कृषि/ वाणिज्य विषय से उत्तीर्ण की है वे भी बी.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र दे सकते हैं।

ऐसे छात्र जिन्होंने इण्टरमीडिएट की परीक्षा वर्ष 2016 या इसके बाद उत्तीर्ण की है, वे ही स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे। विश्वविद्यालय द्वारा उक्त कक्षाओं में विषयवार/वर्गवार संख्या निर्धारित कर दी गयी है, अत: निर्धारित संख्या में ही छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा। छात्र/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारित तिथि और समय पर प्रवेश समिति के समक्ष आवश्यक प्रमाण-पत्रों एवं अंक-पत्रों की मूल प्रतियों के साथ उपस्थित होकर अपना प्रवेश लेंगे। किसी भी दशा में निर्धारित तिथि के उपरान्त प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

## अभ्यर्थियों के वर्ग

| | | | |
|---|---|---|---|
| **वर्ग अ** | सामान्य | **वर्ग ब** | अनुसूचित जाति/जनजाति |
| **वर्ग स** | अन्य पिछड़ा वर्ग | **वर्ग द** | महिला |
| **वर्ग य** | विकलांग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/सैनिकों के आश्रित | | |
| **वर्ग र** | महाविद्यालय के अध्यापक/कर्मचारी के पाल्य | | |

**नोट :** आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अपना पासपोर्ट साइज प्रमाणित फोटो अवश्य चिपकाएँ एवं अपने वर्ग का उल्लेख अवश्य करें तथा साथ ही आवश्यक प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।

## आवेदन पत्र के साथ संलग्नक

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्रों की छाया प्रतियाँ अवश्य संलग्न की जाय। इन प्रपत्रों के बिना आवेदन पत्र अपूर्ण माना जायेगा, तथा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

1. समस्त परीक्षाओं के अंक पत्र। 2. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र। 3. अन्तिम संस्था का चरित्र प्रमाण-पत्र। 4. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र। 5. विकलांग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का प्रमाण पत्र। 6. आधार कार्ड की छाया प्रति।

नोट : आरक्षण के नियमों का अक्षरश: पालन किया जायेगा।

## अधिमान्यता (वेटेज)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | **क्रीड़ा :** | राष्ट्रीय स्तर | 5 अंक |
| | | प्रदेश स्तर | 3 अंक |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | एन.सी.सी.: | 'सी' प्रमाण-पत्र | 5 अंक |
| | | 'बी' प्रमाण पत्र | 3 अंक |
| 3. | स्काउट गाइड/रोवर्स/रेंजर | राष्ट्रीय | 5 अंक |
| | | प्रदेश | 3 अंक |

**स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांग को आरक्षण/वेटेज शासन के नियमानुसार देय होगा।**

**नोट :** अधिमान्यता (वेटेज) 7 अंक से अधिक नहीं दिया जायेगा। अधिमान्यता प्राप्त करने के लिए सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र आवश्यक है।

**विशेष:** अभ्यर्थी को महाविद्यालय कार्यालय में प्रात: 10 बजे से अपरान्ह 1.30 बजे तक शुल्क जमा करना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा न करने की दशा में अभ्यर्थी के प्रवेश का अधिकार समाप्त हो जायेगा।

## स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश

स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र महाविद्यालय कार्यालय में रुपये 150/-(एक सौ पचास रुपये) नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। एम. ए./ एम. एस-सी. कक्षाओं में भी प्रवेश मेरिट के आधार पर ही होगा। स्नातकोत्तर वाणिज्य (स्ववित्तपोषित) में प्रवेश 'प्रथम आवत प्रथम पावत' के आधार पर निर्धारित सीट के अनुसार होगा। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए स्नातक स्तर पर कम से कम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक प्राप्त अभ्यर्थी का प्रवेश किसी भी दशा में सम्भव नहीं होगा। वे अभ्यर्थी जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय से बी.ए./बी.एस-सी./बी.काम. त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम की परीक्षा विगत परीक्षा वर्ष में उत्तीर्ण की हो, वे उसी विषय में स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

प्रवेश आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर अभ्यर्थी अपना पासपोर्ट साइज का प्रमाणित फोटो अवश्य लगायें। आवेदन-पत्र के साथ सभी प्रमाण-पत्रों, अंक-पत्रों की छाया प्रति लगाना अनिवार्य है। टी.सी./माइग्रेशन सर्टिफिकेट तथा चरित्र प्रमाण-पत्र मूल रूप में प्रवेश के समय जमा करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय के प्राचार्य को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताए वह किसी छात्र का प्रवेश रोक लें अथवा उसे निरस्त कर दें।

## बी०एड० में प्रवेश

बी.एड. कक्षा में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर होगा।

**किसी भी कक्षा में प्रवेश के समय लिया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।**

## शोध(पी-एच. डी.) पंजीकरण

महाविद्यालय में शोध (पी-एच.डी. उपाधि) हेतु पंजीकरण राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित शोध पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों एवं निर्देशों के आधार पर ही किया जायेगा।

## अन्य कक्षाओं में प्रवेश

1. स्नातक स्तर पर किसी अन्य महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्रथम/द्वितीय वर्ष का उत्तीर्ण छात्र, महाविद्यालय में किसी भी वर्ष में प्रवेश नहीं प्राप्त कर सकता है।
2. स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु वे ही छात्र आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने सम्बन्धित विषय बी.ए. तृतीय वर्ष में अवश्य चुना हो।
3. एक विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् अभ्यर्थी को पुनः किसी भी अन्य विषय में एम.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
4. ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातक या स्नातकोत्तर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण अथवा अनुचित साधन प्रयोग में दण्डित हुए हैं पुनः उसी कक्षा में प्रवेश नहीं ले सकते हैं।
5. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर की कोई परीक्षा अध्यापक/महिला/व्यक्तिगत अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण की है वे अगली कक्षा में भी उसी रूप में परीक्षार्थी हो सकते हैं। वे संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में प्रवेश नहीं पा सकेंगे।

**विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थान :**

शासन के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश पाने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या विश्वविद्यालय द्वारा निश्चित कर दिया गया है।

## विषयवार उपलब्ध स्थान

विश्वविद्यालय द्वारा नया प्रवेश स्थान उपलब्ध होने पर अपेक्षित सीटें बढ़ायी जायेगी।

**बी.ए. ( प्रथम वर्ष ) :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| हिन्दी | 100 | इतिहास | 100 |
| राजनीतिशास्त्र | 100 | भूगोल | 100 |
| मनोविज्ञान | 100 | दर्शनशास्त्र | 100 |
| अर्थशास्त्र | 100 | प्राचीन इतिहास | 100 |
| समाजशास्त्र | 100 | अंग्रेजी | 100 |
| संस्कृत | 100 | शिक्षाशास्त्र | 100 |

विषयवार संख्या के आधार पर बी.ए. (प्रथम वर्ष) में प्रवेश पाने वाले छात्रों की कुल संख्या 1200 है।

**नोट-** शारीरिक शिक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

एम.ए./एम.एस-सी./एम.काम. (प्रथम वर्ष)

| | | | |
|---|---|---|---|
| हिन्दी | 60 | इतिहास | 60 |
| मनोविज्ञान | 40 | राजनीतिशास्त्र | 60 |
| भूगोल | 40 | | |

(स्ववित्तपोषित योजना अन्तर्गत)

| | |
|---|---|
| एम. ए. प्राचीन इतिहास | 60 |
| एम. एस-सी. प्राणि विज्ञान | 20 |
| एम. काम. | 60 |

(विश्वविद्यालय द्वारा नया प्रवेश स्थान उपलब्ध होने पर अपेक्षित सीटें बढ़ायी जायेंगी)

**बी. एस-सी. ( प्रथम वर्ष )** **कुल योग** **600 छात्र**

**गणित वर्ग :** भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित **300**

**जीवविज्ञान वर्ग :** जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान **300**

**बी. काम. ( प्रथम वर्ष )** **300**

## परिचय-पत्र

1. प्रत्येक छात्र को अनुशासनाधिकारी कार्यालय से प्रवेश रसीद प्रस्तुत करने पर एक परिचय-पत्र दिया जायेगा।
2. परिचय-पत्र सदैव अपने पास रखना अनिवार्य है। परिचय-पत्र के अभाव में महाविद्यालय परिसर में प्रवेश वर्जित है।
3. परिचय-पत्र का नवीनीकरण प्रति वर्ष होगा।
4. परिचय-पत्र खो जाने पर रु. 50/- (शुल्क) भुगतान करने पर द्वितीय प्रति प्राप्त किया जा सकता है।

## विश्वविद्यालय में नामांकन

महाविद्यालय में प्रवेश लेने के साथ ही विश्वविद्यालय में नामांकन कराना अनिवार्य है, इसके लिए महाविद्यालय में निर्धारित शुल्क के साथ नामांकन-पत्र भर कर जमा करना अनिवार्य है।

## छात्रवृत्तियाँ

1. राज्य सरकार के द्वारा सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग को आय के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाती है।
2. प्राकृतिक आपदा के आधार पर सहायता।
3. निर्धन छात्र (छात्र कल्याण कोष से) सहायता के आवेदन-पत्र हेतु कार्यालय से सम्पर्क करें।
4. बी.ए., बी.एस-सी., बी.काम., बी.एड. तथा एम.ए., एम.एस-सी. और एम. काम. के अन्तिम वर्ष में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्र/छात्राओं को सरदार दलीप सिंह मजीठिया स्वर्ण पदक तथा रु. 1000/- का पारितोषिक प्रदान किया जायेगा।
5. बुद्ध मित्र स्मारक ट्रस्ट द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति उस मेधावी छात्र को प्रदान किया जायेगा जो कला संकाय में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया है और एम.ए. में प्रवेश लिया है।

## शुल्क भुगतान

प्रवेश हेतु चुने गये छात्रों को प्रवेश के समय ही वार्षिक शुल्क तथा परीक्षा शुल्क एक साथ देना होगा। समय से शुल्क न जमा करने पर नियमानुसार विलम्ब शुल्क लगेगा। बी.एड. में भी प्रवेश के समय पूरे सत्र का शुल्क जमा करना होगा।

## प्रमाण-पत्र

महाविद्यालय के चरित्र प्रमाण-पत्र या स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र के लिए कालेज कार्यालय में महाविद्यालय के सम्बन्धित विभाग में निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। अन्य किसी प्रयोजन के निमित्त प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये नियमानुसार शुल्क देय होगा।

**द्वितीय प्रतिलिपि :**

फीस रसीद/अंक पत्र/स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क काउण्टर पर जमा करना होगा।

## सर सुरेन्द्र सिंह मजीठिया केन्द्रीय ग्रन्थालय

महाविद्यालय में, उच्च स्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान के लिए, अत्यन्त सम्पन्न एवं स्तरीय पुस्तकालय तथा अध्ययन कक्ष है। महाविद्यालय में प्रवेश के उपरान्त प्रवेश की रसीद एवं परिचय-पत्र प्रस्तुत करने पर पुस्तकालय से सदस्यता फार्म दिया जाता है, जिसे भर कर जमा करने पर तीन पाठक कार्ड दिया जाता है। जिनके द्वारा उपलब्धता के आधार पर तीन पुस्तकें दी जाती हैं। 15 दिन के अन्दर पुस्तकें न जमा करने पर विलम्ब अर्थदण्ड देय होगा। सन्दर्भ-ग्रन्थ किसी स्थिति में छात्र को निर्गत नहीं किया जायेगा। शोध छात्रों के लिए पुस्तकालय के अन्तर्गत कृपाल सिंह मजीठिया शोध ग्रन्थालय भी स्थापित किया गया है।

## वाचनालय

पुस्तकालय के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं के लिए वाचनालय की भी सुविधा है। जिसमें सभी दैनिक समाचार-पत्र, प्रतियोगी-पत्रिकायें, तथा शोध-पत्रिकायें उपलब्ध रहती हैं।

**सामान्य छात्रों सहित अध्यापकों एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्राइवेट परीक्षा की सुविधा उपलब्ध है।**

## परीक्षा आवेदन-पत्र

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक परीक्षा आवेदन-पत्र पूर्ण करके प्रवेश रसीद, अंक-पत्र की प्रति एवं फोटो के साथ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। समय से आवेदन-पत्र न जमा करने पर छात्र/छात्राओं को परीक्षा से वंचित होना पड़ेगा।

## क्रीड़ा परिषद

1. महाविद्यालय में क्रीड़ा परिषद के अन्तर्गत खेल-कूद के सभी साधन उपलब्ध हैं।
2. अन्तर्महाविद्यालयीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चयन किया जाता है।
3. प्रत्येक वर्ष वार्षिक क्रीड़ा समारोह का आयोजन किया जाता है।

## नेशनल कैडेट कोर (एन.सी.सी.)

महाविद्यालिय में छात्रों के लिए एन.सी.सी. प्रशिक्षण की पूर्ण व्यवस्था है। इसके लिए सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।

## कालेज पत्रिका

छात्र/छात्राओं में रचनात्मक लेखन प्रतिभा को विकसित करने के लिए प्रत्येक सत्र में "आलोक" पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है।

## राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की 4 इकाइयाँ हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना में भाग लेने के लिए सम्बन्धित कार्यक्रम-अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।

## स्काउटिंग

महाविद्यालय में स्काउटिंग प्रशिक्षण की भी सुविधा उलपब्ध है। रोवर और रेंजर स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त करने पर उच्च कक्षाओं में प्रवेश, तथा राजकीय सेवाओं में वरीयता मिलती है।

## सेवा योजना सलाह केन्द्र

महाविद्यालय में सेवा योजना सलाह केन्द्र की व्यवस्था है। सेवा योजना सलाह के लिए इस केन्द्र में सम्पर्क किया जा सकता है।

## रेलवे कन्सेशन (रियायती रेल भाड़ा)

भारतीय रेल के नियमानुसार रियायती रेल यात्रा के लिए ग्रीष्मावकाश, दुर्गा पूजा होली एवं शिशिरावकाश में छात्रों को घर जाने के लिए रेलवे कन्सेशन दिये जाते हैं। इसके अलावा महाविद्यालय द्वारा नियोजित शैक्षिक पर्यटनों के लिए भी रेल भाड़े में रियायत की सुविधा उपलब्ध है।

## साइकिल स्टैण्ड

महाविद्यालय में साइकिल स्टैण्ड की व्यवस्था है। छात्रों के लिए अपनी बाईसाइकिल साइकिल स्टैण्ड पर रखना अनिवार्य है। बाहर, परिसर या बरामदे में साइकिल रखना

अनुशासनहीनता समझी जायेगी। साइकिल स्टैण्ड की सुविधा के लिए निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है। महाविद्यालय में कोई साइकिल शुल्क नहीं जमा किया जाता है।

## चिकित्सा व्यवस्था

महाविद्यालय के सभी छात्र/छात्राओं हेतु चिकित्सा व्यवस्था सप्ताह में दो दिन (बुधवार, शुक्रवार) उपलब्ध है।

## छात्रावास

1. महाविद्यालय से सम्बद्ध "बुद्ध जयन्ती छात्रावास" तथा "बाबा राघवदास छात्रावास" में लगभग दो सौ छात्रों के आवास की समुचित व्यवस्था है। इसका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, जीर्णोद्धार होते ही आवण्टन किया जायेगा।
2. छात्रावास में स्थान प्राप्त करने के लिए प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात निर्धारित आवेदन-पत्र पर आवेदन किया जा सकता है।
3. छात्रावास में आवास की उपलब्धता के आधार पर छात्रों के आवेदन-पत्र मेरिट के आधार पर आवण्टित किये जाएंगे।
4. चयनित अभ्यर्थियों की सूची सूचना-पट्ट पर लगा दी जायेगी। निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात ही छात्रावास में आवास की सुविधा दी जायेगी।
5. छात्रावासियों के लिए छात्रावास अधीक्षक का आदेश पालन करना अनिवार्य है।
6. बिना कोई कारण बताये किसी भी अभ्यर्थी को छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है।
7. छात्रावास में हीटर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है।

## प्रतिभूति धन (काशनमनी)

कोई भी प्रतिभूति धन छात्र को अध्ययन छोड़ने के एक वर्ष पश्चात् दिसम्बर माह में आवेदन करने पर चेक द्वारा लौटा दिया जायेगा। अवधि के भीतर आवेदन न करने पर उक्त धनराशि महाविद्यालय कोष में जमा हो जायेगा।

## अनुशासन समिति

महाविद्यालय में अनुशासन समिति के अन्तर्गत अनुशासन की व्यवस्था की जाती है। प्रत्येक छात्र से आशा की जाती है कि वह महाविद्यालय के बाहर और भीतर उच्च स्तरीय अनुशासन प्रदर्शित करेगा। प्रत्येक स्थान और समय पर अनुचित और अवांछित व्यवहार के लिए दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य-कलाप छात्रों के लिए सर्वथा वर्जित हैं -

1. महाविद्यालय में निरुद्देश्य इधर-उधर घूमना, भीड़ लगाना, शोर करना।
2. महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान करना।
3. महाविद्यालय भवन पर पोस्टर चिपकाना या लिखना।
4. साइकिल लेकर बरामदे में घूमना।
5. किसी अधिकारी, प्राध्यापक, छात्र या कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार करना।
6. महाविद्यालय परिसर में अपने साथ बाहरी अथवा आसामाजिक तत्वों को ले आना।
7. पान, पान-मसाला खाकर दीवारों पर थूकना।

उपर्युक्त नियमों की अवहेलना करने पर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी। ऐसे छात्रों को महाविद्यालय से तत्काल निष्कासित भी किया जा सकता है। महाविद्यालय परिसर में प्रत्येक छात्र को अपने पास परिचय-पत्र रखना अनिवार्य है।

इस महाविद्यालय में कोई भी छात्र/छात्रा संस्थागत विद्यार्थी के रूप में पाँच वर्ष से अधिक समय तक अध्ययन नहीं कर सकता है।

विवरणिका में उल्लिखित नियमों एवं विधि में किसी प्रकार के परिवर्तन तथा नये कानून लागू करने के समस्त अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित हैं जिसे कानूनी रूप से किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

## वार्षिक परीक्षा देने हेतु उपस्थिति का न्यूनतम प्रतिशत

प्रत्येक विद्यार्थी एवं अभिभावक को यह स्पष्ट किया जाता है कि बी.ए./ बी.एस-सी./ बी.काम. (प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष); एम.ए./ एम.एस-सी./ एम.काम. (प्रथम/द्वितीय वर्ष) तथा बी.एड. (प्रथम/द्वितीय वर्ष) कक्षाओं में परीक्षा देने की पात्रता के लिए प्रायोगिक एवं सैद्धान्तिक कक्षाओं में अलग-अलग कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है। 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्रा को परीक्षा देने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस नियम का कड़ाई से पालन किया जायेगा। लगातार अनुपस्थित रहने वाले छात्र का प्रवेश निरस्त किया जायेगा।

## बी. ए. /बी. काम. में प्रवेश के समय देय धनराशि

| | | छात्र | छात्रा |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रवेश शुल्क | 5.00 | 5.00 |
| 2. | पंजीकरण शुल्क | 1.00 | 1.00 |
| 3. | शिक्षण शुल्क | 132.00 | --- |
| 4. | मंहगाई | 42.00 | 42.00 |
| 5. | वाचनालय शुल्क | 50.00 | 50.00 |
| 6. | विद्युत/पंखा शुल्क | 125.00 | 125.00 |
| 7. | पुस्तकालय शुल्क | 100.00 | 100.00 |
| 8. | विकास शुल्क | 100.00 | 100.00 |
| 9. | परिचय-पत्र शुल्क | 50.00 | 50.00 |
| 10. | जमानत शुल्क | 150.00 | 150.00 |
| 11. | छात्रसंघ शुल्क | 50.00 | 50.00 |
| 12. | क्रीड़ा (रु 50/- प्रति छात्र विश्वविद्यालय को देय) | 150.00 | 150.00 |
| 13. | निर्धन छात्र कोष | 40.00 | 40.00 |
| 14. | श्रव्य-दृश्य शुल्क | 75.00 | 75.00 |
| 15. | सांस्कृतिक शुल्क | 75.00 | 75.00 |
| 16. | विभागीय परिषद शुल्क | 75.00 | 75.00 |
| 17. | वार्षिक पत्रिका शुल्क | 65.00 | 65.00 |
| 18. | विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क | 1200.00 | 1200.00 |
| 19. | नामांकन शुल्क | 150.00 | 150.00 |
| 20. | अंक-पत्र शुल्क | 100.00 | 100.00 |
| 21. | रोवर्स रेन्जर्स शुल्क (रु. 8/- प्रति छात्र वि.वि. को देय) | 24.00 | 24.00 |
| 22. | चिकित्सा शुल्क | 50.00 | 50.00 |
| 23. | छात्र संघ चुनाव शुल्क | 35.00 | 35.00 |
| 24. | जनरेटर शुल्क | 50.00 | 50.00 |
| 25. | राष्ट्रगौरव शुल्क (केवल स्नातक प्रथम वर्ष के छात्र से) | 50.00 | 50.00 |
| 26. | राष्ट्रगौरव परीक्षा शुल्क | 15.00 | 15.00 |
| | योग : | 2959.00 | 2827.00 |

**प्रयोगात्मक विषय भूगोल/मनोविज्ञान**

| | | |
|---|---|---|
| शुल्क (क्रम सं0 1 से 26) | 2959.00 | 2827.00 |
| अतिरिक्त जमानत | 150.00 | 150.00 |
| प्रयोगशाला शुल्क | 240.00 | 240.00 |
| योग : | 3349.00 | 3217.00 |

**स्नातक (गणित वर्ग)**

| | | |
|---|---|---|
| शुल्क (क्रम सं. 1 से 26 तक) | 2959.00 | 2827.00 |
| अतिरिक्त जमानत | 150.00 | 150.00 |
| प्रयोगशाला शुल्क | 480.00 | 480.00 |
| योग : | 3589.00 | 3457.00 |

**स्नातक (जीवविज्ञान वर्ग)**

| | | |
|---|---|---|
| शुल्क (क्रम सं. 1 से 26 तक) | 2959.00 | 2827.00 |
| अतिरिक्त जमानत | 150.00 | 150.00 |
| प्रयोगशाला शुल्क | 720.00 | 720.00 |
| योग : | 3829.00 | 3697.00 |

**नोट : स्नातक अन्तिम वर्ष के विद्यार्थियों को उपाधि शुल्क के रूप में 500/- मात्र अतिरिक्त शुल्क देना होगा।**

| स्नातकोत्तर वर्ग (प्रयोगात्मक विषयों को छोड़कर) | | | |
|---|---|---|---|
| | | छात्र | छात्रा |
| 1. | प्रवेश शुल्क | 5.00 | 5.00 |
| 2. | पंजीकरण शुल्क | 1.00 | 1.00 |
| 3. | शिक्षण शुल्क | 180.00 | --- |
| 4. | मंहगाई | 42.00 | 42.00 |
| 5. | वाचनालय शुल्क | 50.00 | 50.00 |
| 6. | विद्युत/पंखा शुल्क | 125.00 | 125.00 |
| 7. | पुस्तकालय शुल्क | 100.00 | 100.00 |
| 8. | विकास शुल्क | 100.00 | 100.00 |
| 9. | परिचय-पत्र शुल्क | 50.00 | 50.00 |
| 10. | जमानत शुल्क | 150.00 | 150.00 |
| 11. | छात्रसंघ शुल्क | 50.00 | 50.00 |
| 12. | क्रीड़ा (रु 50/ प्रति छात्र विवि को देय) | 150.00 | 150.00 |
| 13. | निर्धन छात्र कोष शुल्क | 40.00 | 40.00 |
| 14. | श्रव्य दृश्य शुल्क | 75.00 | 75.00 |
| 15. | सांस्कृतिक शुल्क | 75.00 | 75.00 |
| 16. | विभागीय परिषद शुल्क | 75.00 | 75.00 |
| 17. | वार्षिक पत्रिका शुल्क | 65.00 | 65.00 |
| 18. | विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क | 1300.00 | 1300.00 |
| 19. | नामांकन शुल्क (बाहरी छात्रों हेतु) | 150.00 | 150.00 |
| 20. | अंक पत्र शुल्क | 100.00 | 100.00 |
| 21. | रोवर्स रेन्जर्स शु.रु. 8 वि.वि. को देय) | 24.00 | 24..00 |
| 22. | चिकित्सा शुल्क | 50.00 | 50.00 |
| 23. | छात्र संघ चुनाव शुल्क | 35.00 | 35.00 |
| 24. | जनरेटर शुल्क | 50.00 | 50.00 |
| | योग : | 3042.00 | 2862.00 |

**नोट : स्नातकोत्तर अन्तिम वर्ष के छात्रों को उपाधि शुल्क के रूप में 500/- मात्र अतिरिक्त शुल्क देना होगा।**

| स्नातकोत्तर-प्रयोगात्मक विषय ( भूगोल/मनोविज्ञान ) | | |
|---|---|---|
| शुल्क (क्रम सं0 1 से 24 तक) | 3042.00 | 2862.00 |
| अतिरिक्त जमानत | 150.00 | 150.00 |
| प्रयोगशाला शुल्क | 240.00 | 240.00 |
| योग : | 3432.00 | 3252.00 |

**स्नातकोत्तर ( स्ववित्तपोषित )**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | प्राणि विज्ञान | 22,000.00 |
| 2. | एम.काम. | 9,000.00 |
| 3. | प्राचीन इतिहास | 6,500.00 |

1. सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली के अन्तर्गत आने वाले छात्रों को प्रत्येक सेमेस्टर का निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा तथा बी.एड. के छात्रों से स्काऊट गाइड शुल्क रु. 100.00 लिया जायेगा।
2. शासन के आदेशानुसार किसी भी कक्षा में अध्ययन हेतु छात्राओं को शिक्षण शुल्क देय नहीं होगा। भविष्य में शासन या प्रशासन के आदेश के अन्तर्गत शुल्क में किसी भी समय परिवर्तन किया जा सकता है।
3. **प्रवेश लेने के पश्चात शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।**

## उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र

महाविद्यालय में 'उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र' के रूप में भी स्वीकृत है, जिसमें परम्परागत डिग्री, डिप्लोमा के अतिरिक्त अनेक व्यवसायिक एवं रोजगारपरक कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है। विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदत्त डिग्री एवं डिप्लोमा अन्य राज्य विश्वविद्यालय एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के समतुल्य है। इस अध्ययन-केन्द्र पर संचालित प्रमुख पाठ्यक्रमों का विवरण निम्न है :

1. बी. ए. सभी विषय
2. बी. ए. एकल विषय
3. बी. एस-सी. सभी विषय
4. एम.ए. (हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीतिशा., समाजशा., शिक्षाशा., अर्थशा.)
5. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक डिप्लोमा
6. पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

7. वित्तीय प्रबन्धन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
8. स्वास्थ्य शिक्षा एवं पोषण, ग्रामीण विकास में डिप्लोमा
9. शिशुपालन एवं पोषण, पर्यटन अध्ययन में प्रमाण-पत्र

## इन्दिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र

महाविद्यालय के इस स्वीकृत अध्ययन केन्द्र में अनेक कार्यक्रमों को संचालित किया जाता है जिसमें स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री, पी.जी. डिप्लोमा सर्टिफिकेट कार्यक्रम सम्मिलित है।

**स्नातक पाठ्यक्रम** : बी.ए., बी.काम.

**स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम** : एम.काम., एम.ए. (हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, मनोविज्ञान, लोकप्रशासन)

**पी.जी. डिप्लोमा सर्टिफिकेट** : परामर्श एवं परिवार चिकित्सा, उच्चशिक्षा अनुवाद, मार्गदर्शन, इंग्लिश स्पीकिंग, प्रयोगशाला तकनीक।

## कला संकाय

**हिन्दी विभाग**

1. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद - एसोसिएट प्रोफेसर
2. डॉ. राजेश कुमार सिंह - एसोसिएट प्रोफेसर
3. डॉ. गौरव तिवारी - असिस्टेन्ट प्रोफेसर

**राजनीति विज्ञान विभाग**

1. डॉ. उमाशंकर तिवारी - एसोसिएट प्रोफेसर
2. श्री जीतेन्द्र कुमार मिश्र - असिस्टेन्ट प्रोफेसर
3. डा ममता मणि त्रिपाठी —एसोसिएट प्रोफेसर
4. डा सत्येन्द्र कुमार गौतम —एसोसिएट प्रोफेसर

**इतिहास विभाग**

1. डॉ. ज्ञान प्रकाश मंगलम - एसोसिएट प्रोफेसर
2. डॉ. राजेश कुमार - एसोसिएट प्रोफेसर
3. डॉ. अम्बिका प्रसाद तिवारी - असिस्टेन्ट प्रोफेसर
4. डॉ. त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी - असिस्टेन्ट प्रोफेसर

**मनोविज्ञान विभाग**

1. डा. रामभूषण मिश्र - एसोसिएट प्रोफेसर
2. डॉ. अमृतांशु शुक्ल - एसोसिएट प्रोफेसर
3. डॉ. सीमा त्रिपाठी - एसोसिएट प्रोफेसर
4. डॉ. सत्यप्रकाश - असिस्टेन्ट प्रोफेसर
5. डॉ. रीना मालवीय - असिस्टेन्ट प्रोफेसर

**भूगोल विभाग**

1. डॉ. बृजेश कुमार सिंह - एसोसिएट प्रोफेसर
2. डॉ. कौस्तुभ नारायण मिश्र - एसोसिएट प्रोफेसर
3. डॉ. (श्रीमती) रेखा तिवारी - एसोसिएट प्रोफेसर
4. डॉ. दुर्गेश मणि त्रिपाठी - असिस्टेन्ट प्रोफेसर

**प्राचीन इतिहास विभाग**

1. डॉ. वीरेन्द्र कुमार - एसोसिएट प्रोफेसर (पद रिक्त)

**अर्थशास्त्र विभाग**

**संस्कृत विभाग**

1. डा सौरभ द्विवेदी —असिस्टेन्ट प्रोफेसर

**अंग्रेजी**

1. डॉ. (श्रीमती) प्रशिला सैम - एसोसिएट प्रोफेसर
2. डॉ. आमोद कुमार राय - असिस्टेन्ट प्रोफेसर

**दर्शनशास्त्र विभाग**

1. डॉ. राघवेन्द्र प्रताप मिश्र - असिस्टेन्ट प्रोफेसर
2. डॉ. सूर्य नारायण मिश्र (अवैतनिक अवकाश) - असिस्टेन्ट प्रोफेसर

**शिक्षा-शास्त्र**

1. डॉ. उर्मिला यादव - एसोसिएट प्रोफेसर

**समाजशास्त्र**

1. डॉ. अवधेश कुमार पाण्डेय - एसोसिएट प्रोफेसर

## वाणिज्य संकाय

1. डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह – एसोसिएट प्रोफेसर
2. डॉ. इन्द्रासन प्रसाद – एसोसिएट प्रोफेसर
3. डॉ. महबूब आलम – एसोसिएट प्रोफेसर
4. डा मनीष जायसवाल –असिसटेन्ट प्रोफेसर

## बी. एड. विभाग

1. डॉ. विभ्राट चन्द कौशिक – एसोसिएट प्रोफेसर
2. डॉ. अंजुला शुक्ला – एसोसिएट प्रोफेसर
3. डॉ. कुमुद त्रिपाठी – एसोसिएट प्रोफेसर
4. डॉ. नीतू सिंह – असिस्टेन्ट प्रोफेसर
5. डॉ. निगम मौर्य – असिस्टेन्ट प्रोफेसर
6. श्री कृष्ण कुमार जायसवाल – असिस्टेन्ट प्रोफेसर

## विज्ञान संकाय

### रसायन विज्ञान विभाग

1. डॉ. हरिशंकर पाण्डेय – एसोसिएट प्रोफेसर
2. डॉ. किरन जायसवाल – एसोसिएट प्रोफेसर
3. डॉ. रवि प्रताप पाण्डेय – एसोसिएट प्रोफेसर
4. डॉ. पारसनाथ – असिस्टेन्ट प्रोफेसर
5. डॉ. श्वेता यादव – असिस्टेन्ट प्रोफेसर

### भौतिक विज्ञान विभाग

1. डॉ. इन्द्रजीत मिश्र – असिस्टेन्ट प्रोफेसर

### वनस्पति विज्ञान विभाग

1. डॉ. अनुज कुमार – असिस्टेन्ट प्रोफेसर
2. श्री रमेश चन्द्र विश्वकर्मा – असिस्टेन्ट प्रोफेसर
3. डॉ. वीण कुमारी – असिस्टेन्ट प्रोफेसर

### गणित विभाग

1. डॉ. चन्द्रशेखर सिंह – असिस्टेन्ट प्रोफेसर

---

2. सिद्धी केसरवानी –असिसटेन्ट प्रोफेसर

## *जन्तु विज्ञान*

1. डा0 राकेश राय –असिसटेन्ट प्रोफेसर

पुस्तकालयाध्यक्ष (पद रिक्त)

## स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत

### वाणिज्य संकाय

1. डॉ. संदीप कुमार पाण्डेय – असिस्टेन्ट प्रोफेसर
2. डॉ. रीतेश कुमार सिंह – असिस्टेन्ट प्रोफेसर
3. डॉ. राकेश कुमार चतुर्वेदी – असिस्टेन्ट प्रोफेसर

### प्राणि विज्ञान विभाग

1. डॉ. विनोद सिंह – असिस्टेन्ट प्रोफेसर
2. डॉ. चन्द्रशेखर पाठक – असिस्टेन्ट प्रोफेसर
3. डॉ. अजीत कुमार तिवारी – असिस्टेन्ट प्रोफेसर

### प्राचीन इतिहास विभाग

1. डॉ. अजय कुमार मिश्र – असिस्टेन्ट प्रोफेसर
2. डॉ. राकेश कुमार सिंह – असिस्टेन्ट प्रोफेसर
3. डॉ बिन्दू त्रिपाठी – असिस्टेन्ट प्रोफेसर